



2026:AHC:10274

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 317 वर्ष 2026

अनिल कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	हतुध्वज साही. समर्थ सिंह
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी. एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री समर्थ सिंह और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
- विपक्ष के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे आगे कोई और शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं; अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निस्तारण इसी प्रारंभिक चरण पर किया जा रहा है।
- रिट याचिकाकर्ता ने इससे पूर्व रिट-ए संख्या 16178 वर्ष 2025 दायर करते हुए इस न्यायालय का रुख किया था, जिसका निस्तारण दिनांक 04.11.2025 को कर दिया गया था; उक्त आदेश को नीचे उद्धृत किया गया है:
“1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री समर्थ सिंह और राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।



2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा एक संयुक्त बयान दिया गया है कि वे कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, और यह कि रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण पर ही कर दिया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, यह न्यायालय शपथ-पत्र मंगाए बिना ही, प्रारंभिक चरण पर इस वर्तमान याचिका का निस्तारण कर रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का वाद यह है कि रिट याचिकाकर्ता को 18.12.1991 को नागरिक पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्त किया गया था; हालाँकि, 15.02.2010 को रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसकी आपराधिक वाद संख्या 31 वर्ष 2010 थी और जो भादसं की धारा 302, 323, 504 के तहत दर्ज की गई थी। वर्ष 2018 में सिपाहियों को प्रधान सिपाही के पद पर पदोन्नत करने के लिए एक पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई थी; हालाँकि, इस तथ्य के कारण कि रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक वाद लंबित था, इसलिए 28.05.1997 के सरकारी आदेश के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के मामले को मुहबन्द लिफाफे में रखा गया था। तथापि, उक्त आपराधिक मामले में, रिट याचिकाकर्ता को 30.10.2024 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम), प्रयागराज की न्यायालय द्वारा सत्र विचारण संख्या 1290 वर्ष 2014, राज्य बनाम विनोद कुमार दुबे, में, आपराधिक वाद संख्या 31 वर्ष 2010 के तहत भादसं की धारा 323, 506, 302 के आरोपों से बरी कर दिया गया।
5. चूँकि रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तथ्य के आलोक में कि रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही लंबित थी, और रिट याचिकाकर्ता का वाद एक मुहबन्द लिफाफे में रखा गया था, तथा रिट याचिकाकर्ता से कनिष्ठ अधिकारियों को प्रधान सिपाही और उप-निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति दे दी गई थी; अतः रिट याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 10032 वर्ष 2025, अनिल कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दायर की। इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया कि चौथे प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लिया जाए; जिसके अनुपालन में, अब दिनांक 19.09.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसके माध्यम से रिट याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया है।
6. इसी पर सवाल उठाते हुए, यह याचिका दायर की गई है।
7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि जिस आधार पर प्राधिकारी ने रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज किया है, वह एक पल के लिए भी कायम नहीं रह सकता। उनका निवेदन है कि एक बार जब रिट याचिकाकर्ता की सेवा बही में किसी



आपराधिक मामले के रूप में कोई रोक दर्ज हो गई थी, और उस आपराधिक मामले में उसे बरी कर दिया गया, तो विधि के तहत यह मान लिया जाएगा कि रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ अब कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

8. तर्क यह है कि, हालाँकि किसी पद पर चयन और नियुक्ति के मामलों में मापदंड अलग हो सकते हैं—जहाँ यह देखा जाता है कि क्या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने की जानकारी दी गई थी, और बरी होने के आदेश का क्या महत्व और प्रभाव है, लेकिन मौजूदा मामले में, एक छोटा सा अंतर यह है कि रिट याचिकाकर्ता पहले से ही सेवा में शामिल हैं और सिपाही के तौर पर अपने कर्तव्य निभा रहा है, और वह प्रधान सिपाही तथा उप-निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि जिन बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने उसकी मांग को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बरी होने के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक अपील अभी भी लंबित है, उसे एक वैध आधार नहीं माना जा सकता। तर्क यह है कि केवल अपील के लंबित होने से बरी होने के आदेश के महत्व और प्रभाव को न तो रोका जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, क्योंकि वह आदेश अभी भी प्रभावी है, और 28.05.1997 के सरकारी आदेश के आलोक में, रिट याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है, तथा इस संबंध में सरकारी आदेश के प्रस्तर-7 की गलत व्याख्या की गई है।

9. इस न्यायालय की एक समान पीठ के निर्णय, रिट-ए संख्या 8151 वर्ष 2022, नीरज कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य, दिनांक 26.05.2022 पर भी भरोसा किया गया है; जिसमें दिनांक 28.05.1997 के सरकारी आदेश तथा उसके बाद के दिनांक 09.01.2018 के सरकारी आदेश पर विचार किया गया था।

10. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री गौरव सिंह का तर्क है कि जब सरकार की अपील स्वयं ही लंबित है, तो इसे बरी होने का स्पष्ट मामला नहीं कहा जा सकता; हालाँकि, उनके अनुसार, अपील में स्वयं कोई सकारात्मक आदेश पारित नहीं किया गया है। उनके विचार में, इस संबंध में मामले पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

11. मैंने बार की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलों को सुना है और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

12. तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 2018 में रिट याचिकाकर्ता के सिपाही पद से प्रधान सिपाही पद पर पदोन्नति के दावे पर विचार किया गया था; हालाँकि, एक आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण, रिट याचिकाकर्ता के मामले को एक



मुहबन्द लिफाफे में रख दिया गया था। इसके बाद, बरी होने का आदेश पारित किया गया और रिट याचिकाकर्ता ने पदोन्नति पर विचार करने के निर्देश के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए अपना दावा प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश पारित किया गया। आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट होता है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करते समय प्राधिकारी ने जिस बात को आधार बनाया, वह बरी होने के आदेश के विरुद्ध सरकार की अपील का लंबित होना है। न्यायालय की राय में, केवल अपील का लंबित होना बरी होने के आदेश की अनदेखी करने का आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि भविष्य में स्थिति स्पष्ट हो सकती है—चाहे वह सरकारी अपील के खारिज होने से हो या अपील के स्वीकार होने से। हालाँकि, आज की तारीख में, रिट याचिकाकर्ता बरी हो चुका है। ऐसी स्थितियों में एक अंतर होता है जहाँ कोई व्यक्ति आपराधिक मामले के लंबित होने या आपराधिक मामले में बरी होने के आधार पर किसी नियुक्ति का दावा कर रहा हो; लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर यह है कि रिट याचिकाकर्ता पहले से ही कार्यरत है और सिपाही के पद पर कार्य कर रहा है। अतः, इस तथ्य के आधार पर कि बरी होने के आदेश के विरुद्ध सरकारी अपील लंबित है, रिट याचिकाकर्ता के पदोन्नति के दावे को रोकने का यह कोई उचित आधार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वर्तमान स्थिति से मिलता-जुलता एक मामला एचसीपी 47 सुखेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य रिट-ए संख्या 37684 वर्ष 2016, दिनांक 13.02.2020 को निस्तारित, में भी विचारणीय विषय था, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

“10. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

11. इस विवाद को सुलझाने के लिए, दिनांक 28.5.1997 के सरकारी आदेश का खंड 10 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

“10. चयन समिति द्वारा प्रथम बार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहबन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी इस अवधि में ऐसी अवधि आरोपित नहीं की जायेगी जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जांच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जाँच/विभागीय / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो



ऐसे कार्मिकों के विषय में जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

(क) आरोपित कार्मिक के विरुद्ध लगाये गये आरोप क्या इतने गम्भीर हैं कि उनके आधार पर उसे भविष्य में भी प्रोन्नति से बंचित रखा जाना उपर्युक्त / जनहित में होगा।

(ख) क्या प्रशासनाधिकरण की जाँच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने काफ़ी समय लगेगा।

(ग) प्रशासनाधिकरण की जाँच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन में हो रहे विलम्ब के लिए प्रत्यक्ष या परपरोक्ष रूप से आरोपित कार्मिक तो दोषी नहीं है।

(घ) आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने पर वह अपने पद का दुरुपयोग अथवा जाँच को प्रभावित तो नहीं करेगा।

(ङ) यदि सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त खण्ड (क), (ख), (ग) एवं (घ) के आधार पर विचारोपरान्त आरोपित कार्मिक को तदर्थ आधार पर प्रोन्नत करना उपर्युक्त समझते हैं तो इस दशा में विभागीय चयन समिति के सामने मामले को रखा जायेगा जो आरोपित कार्मिक के सम्पूर्ण अभिलेखों के आधार पर उसके कार्य का मुल्यांकन करेगी तथा तदर्थ रूप से प्रोन्नति देने अथवा न देने के विषय में अपनी संस्तुति देगी।

(च) यदि जाँच प्रशासनाधिकरण आदि किसी अन्य एजेन्सी द्वारा कराई जा रही हो तो उस दशा में उस एजेन्सी का परमर्श भी इस बिन्दु (तदर्थ आधार पर प्रोन्नति देने) पर प्राप्त किया जायेगा।

(छ) उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरान्त आरोपित कार्मिक को तदर्थ रूप से प्रोन्नति किये जाने के आदेशों में यह स्पष्ट किया जायेगा कि प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिए की जाती है और शासन को उक्त तदर्थ प्रोन्नति को कभी भी समाप्त कर देने का अधिकार है तथा तदनुसार ऐसे कार्मिक को उस पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पद से उसे प्रोन्नत किया गया था।

(ज) तदर्थ आधार पर प्रोन्नत आरोपित कार्मिक के विरुद्ध चल रहा प्रशासनाधिकरण की जाँच / विभागीय कार्यवाही अभियोजन आदि के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर इसके विषय में उसकी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी जैसे कि की जाती है यदि उसे सह तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(झ) यदि न्यायालय द्वारा किसी तदर्थ रूप से प्रोन्नति कार्मिक को तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर) नहीं दोष मुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील या उसी



आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में सक्षम प्राधिकारी इस बिन्दु पर विचार करेंगे कि आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाय अथवा नहीं।"

12. ऊपर दिए गए प्रावधानों को देखने से यह साफ है कि अगर याचिकाकर्ता/कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला चल रहा है, तो पदोन्नति के मामले पर विचार किया जाएगा, लेकिन इसे एक साल तक मुहबन्द लिफाफे में रखा जाएगा और एक साल बाद, कर्मचारी के तदर्थ पदोन्नति के दावे पर विचार किया जा सकता है—बशर्ते, अगर देरी कर्मचारी की तरफ से हुई हो, तो तदर्थ आधार पर पदोन्नति देने का मामला टाल दिया जाएगा।

यहाँ, मौजूदा वाद में, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दंप्रस की धारा 482 के तहत आवेदन दायर करके विधिक उपाय का लाभ उठाया है, जिसमें, अभिलेख पर मौजूद सामग्री की जाँच करने के बाद, इस न्यायालय ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने में याचिकाकर्ता की ओर से कोई देरी हुई है, और आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता के लिए यह उपाय है कि वह लगाए गए आरोपों के विरुद्ध विधि के तहत उपलब्ध उचित विधिक उपाय का लाभ उठाए। इसलिए, आक्षेपित आदेश में दिया गया यह कारण कि याचिकाकर्ता की ओर से देरी हुई है, मान्य नहीं ठहराया जा सकता।

13. मैंने भारत संघ बनाम के.वी. जानकी रमन और अन्य (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय पर विचार किया है। इस निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर 16 और 17 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

"16. पहले सवाल पर, यानी, यह कि मुहबंद लिफाफा प्रक्रिया के मकसद से, अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही कब शुरू हुई मानी जा सकती है, प्राधिकरण की पूर्ण पीठ ने यह निर्णय दिया है कि ऐसा तभी माना जा सकता है जब किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में कर्मचारी को आरोप-जापन जारी किया जाए, या किसी आपराधिक मुकदमे में आरोप-पत्र जारी की जाए। मुहबंद लिफाफा प्रक्रिया का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब आरोप-जापन/आरोप-पत्र जारी हो चुकी हो। उस चरण से पहले चल रही शुरुआती जांच, अधिकारियों को मुहबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाने का अधिकार देने के लिए काफी नहीं होगी। हम इस मामले पर प्राधिकरण से सहमत हैं। अपील करने वाले अधिकारियों के अधिवक्ता ने जो तर्क दिया है कि जब गंभीर आरोप हों और आरोप-जापन/आरोप-पत्र तैयार करने और जारी करने के लिए ज़रूरी सबूत इकट्ठा करने में समय लगता हो, तो कर्मचारी को प्रोन्नति, वेतनवृद्धि वगैरह देकर इनाम देना प्रशासन की



शुचिता के हित में नहीं होगा—यह तक हमें प्रभावित नहीं करता। इस तर्क को मान लेने से कई वादों में कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। जैसा कि अब तक का अनुभव रहा है, शुरुआती जांच में बहुत ज्यादा समय लगता है, और खासकर तब जब ये जांचें किसी खास मकसद वाले लोगों के कहने पर शुरू की जाती हैं, तो इन्हें जान-बूझकर लटकाए रखा जाता है। कई बार तो इनका नतीजा कभी किसी आरोप-जापन/आरोप-पत्र के रूप में निकलता ही नहीं है। अगर आरोप गंभीर हैं और अधिकारी उनकी जांच करने के इच्छुक हैं, तो आम तौर पर प्रासंगिक सबूत इकट्ठा करने और आरोप तय करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा, अगर आरोप इतने गंभीर हैं, तो अधिकारियों के पास संबंधित नियमों के तहत कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार है, और निलंबन अपने आप में मुहबंद लिफाफा प्रक्रिया का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। इस तरह, अधिकारियों के पास उपाय की कोई कमी नहीं है। इसके बाद अधिकारियों की ओर से यह तर्क दिया गई कि प्राधिकरण की पूर्ण पीठ के निष्कर्ष संख्या 1 और 4 एक-दूसरे के विपरीत हैं। वे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

“(1) किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के एकमात्र आधार पर, पदोन्नति, चयन वर्ग, दक्षता अवरोध को पार करने अथवा उच्च वेतनमान के लिए विचार को रोका नहीं जा सकता है;

(4) मुहबंद लिफाफा प्रक्रिया का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है, जब संबंधित अधिकारी को आरोप-जापन सौंप दिया गया हो अथवा आपराधिक न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया हो इससे पहले नहीं।

17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों निष्कर्षों के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास प्रतीत होता है। लेकिन यदि उन्हें सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जा, और पूर्ण पीठ का आशय भी यही था, तो दोनों निष्कर्षों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। निष्कर्ष संख्या 1 का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति आदि को केवल इस आधार पर रोका नहीं जा सकता कि उसके विरुद्ध कुछ अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही लंबित है। उक्त लाभ से वंचित करने के लिए, यह आवश्यक है कि संबंधित समय पर वे कार्यवाहियाँ उस चरण में लंबित हों, जब कर्मचारी को आरोप-जापन/आरोप-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका हो। इस प्रकार पढ़ने पर, दोनों निष्कर्षों में कोई विसंगति नहीं रह जाती।”

14. भारत संघ (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान से देखने पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि मुहबंद लिफाफा प्रक्रिया का इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब



किसी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप-जापन या किसी आपराधिक मुकदमे में आरोप-पत्र जारी किया गया हो। उस चरण से पहले चल रही शुरुआती जाँच, अधिकारियों को मुद्देबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाने का अधिकार देने के लिए काफी नहीं होगी। इसके अलावा, यह भी माना गया है कि यदि आरोप गंभीर हैं, तो अधिकारियों के पास संबंधित नियमों के तहत कर्मचारी को निलंबित करने की शक्ति होती है, और यह निलंबन अपने आप में मुद्देबंद लिफाफा प्रक्रिया का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। अंत में, यह माना गया है कि निष्कर्ष संख्या 1 का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति आदि को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्यवाही लंबित है।

15. 28.5.1997 के सरकारी आदेश और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय पर विचार करने के बाद, मेरी यह राय है कि सरकारी आदेश उस कर्मचारी के दावे पर विचार करने की अनुमति देता है जिसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही लंबित है, और आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान उसे तदर्थ पदोन्नति प्रदान करने की भी अनुमति देता है।

एकमात्र शर्त यह है कि यदि आपराधिक कार्यवाही के निष्कर्ष पर कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो इस आधार पर उसे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकता है।

16. अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखने से यह साफ है कि याचिकाकर्ता ने, उपलब्ध विधिक उपाय का इस्तेमाल करते हुए, धारा 482 दंप्रसं के तहत एक याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस अर्जी में उसने आरोप-पत्र और उस पर लिए गए संज्ञान को चुनौती दी है, जिसके बाद इस न्यायालय ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के सामने धारा 482 दंप्रसं की याचिका सिर्फ मुकदमे के नतीजे में देरी करने के इरादे से दायर की है। यह एक विधिक उपाय है जो याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध है। उचित विचार-विमर्श के बाद, इस न्यायालय ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने वाला एक अंतरिम आदेश जारी किया था। इसलिए, इस आधार पर, याचिकाकर्ता को 28.5.1997 के सरकारी आदेश का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता।

17. राज्य सरकार द्वारा 6.7.2005 को एक और सरकारी आदेश जारी किया गया था, और उक्त सरकारी आदेश को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश, उप-निरीक्षक (विशेष श्रेणी) के अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए की गई थी परंतु प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता को उप-निरीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद पर पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है।



18. श्री भूप सिंह और श्री सुखेंद्र सिंह, जो उपर्युक्त आपराधिक मामले में आरोपी भी थे, ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 1917 वर्ष 2006 दायर की। इस याचिका में उन्होंने परमादेश प्रकृति की एक रिट जारी करने की मांग की, जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे 6.7.2005 के सरकारी आदेश तथा कुछ अन्य सरकारी आदेशों के अनुसार, याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते हुए उसे उप-निरीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद पर पदोन्नति प्रदान करें। इस मामले में प्रति-शपथ पत्र दायर किया गया था, और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, श्री भूप सिंह और श्री सुखेंद्र सिंह को तो 'उप-निरीक्षक (विशेष श्रेणी)' के पद पर पदोन्नति दे दी गई, परंतु याचिकाकर्ता के दावे को आक्षेपित आदेशों के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया गया।

19. एक बार श्री भूप सिंह और श्री सुखेंद्र सिंह भी इसी आपराधिक मामले में शामिल पाए गए थे, और उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने के लिए उनके दावे पर विचार किया गया था। याचिकाकर्ता के दावे पर भी विचार किया जाना चाहिए था और प्रत्यर्थियों द्वारा उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त दो व्यक्तियों को पदोन्नति देने का कार्य और कार्रवाई, जो इसी आपराधिक मामले में शामिल हैं, याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव पैदा करती है। इसलिए, प्रत्यर्थी की यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

20. ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 17.2.2015 और 26.9.2015 को पारित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है और उन्हें इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

21. तदनुसार, रिट याचिका सफल होती है और इसे एतद्वारा स्वीकार किया जाता है। तथापि, इस मामले को प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रतिष्ठान), यू.पी. पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को वापस भेजा जाता है, ताकि वे ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करें।

25. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आदेश पारित करते समय, प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करेगा।”

13. चूंकि इस मामले के उपर्युक्त पहलुओं पर आक्षेपित आदेश में विचार नहीं किया गया है और न ही उनका उल्लेख किया गया है, और साथ ही यह आरोप भी है कि विनोद कुमार दुबे नामक एक व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही भी चलाई गई थी और जो आपराधिक विचारण में एक अभियुक्त था, लाभ प्रदान किया गया है।



14. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। दिनांक 19.09.2025 का आदेश निरस्त किया जाता है। यह मामला संबंधित अधिकारियों को वापस भेजा जाता है, ताकि वे दो महीने के भीतर विधि के अनुसार एक नया आदेश पारित कर सकें।”

4. इसके बाद, पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर (प्रत्यर्थी संख्या 4) ने दिनांक 10.12.2025 के आदेश के माध्यम से रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया; यह कार्रवाई इस न्यायालय द्वारा मुकदमेबाजी के प्रारंभिक चरण, अर्थात् रिट ए संख्या 16178 वर्ष 2025 में की गई टिप्पणियों के सीधे विपरीत थी।

5. इसी पर सवाल उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने यह वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश पारित करने का एकमात्र आधार यह है कि सरकार की ओर से एक अपील लंबित है। उनका कहना है कि एक बार जब बरी होने का आदेश पारित हो जाता है और उसे रद्द नहीं किया जाता है, तो विधि की नज़र में यह मान लिया जाएगा कि रिट याचिकाकर्ता, जो कि एक आरोपी है, बरी हो चुका है। उनका तर्क है कि आपराधिक अपील के फैसले में अनगिनत साल लग सकते हैं; तथापि, 24.05.1997 के सरकारी आदेश के आलोक में, रिट याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है, विशेष रूप से तब, जब उसके पक्ष में आपराधिक मामले से संबंधित बरी होने का आदेश मौजूद है।

7. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि इस मामले पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

9. तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता सिपाही के पद से प्रधान सिपाही और फिर उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की मांग कर रहा है। एकमात्र विधिक बाधा जो हो सकती थी, वह एक आपराधिक मामला था; हालाँकि, न्यायालय ने पाया है कि रिट याचिकाकर्ता बरी हो चुका है और सरकार की ओर से एक आपराधिक अपील अभी लंबित है।

10. न्यायालय की राय में, केवल अपील लंबित होने को, रिट याचिकाकर्ता को मिलने वाले लाभ से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। चूंकि, इस पहलू पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है, अतः आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।



11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित रीति से किया जा रहा है:

(अ) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 10.12.2025 को पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है।

(ब) यह मामला वापस भेज दिया गया है, ताकि विधि के अनुसार ही एक नया आदेश पारित किया जा सके इसके लिए 04.11.2025 को रिट ए संख्या 16178 वर्ष 2025 में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लिया जाए।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारित की जाती है।

जनवरी 16, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)